सं. ए. 12026/2/2018-प्रशा.II

भारत सरकार

नीति आयोग

नीति आयोग में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/प्रोन्नति आधार पर वरिष्ठ सलाहकार/सलाहकार के पदों पर नियुक्ति के लिए ऐसे उपयुक्त अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता है जिन्हें शिक्षा और मानव संसाधन विकास; ऊर्जा और विद्युत; आर्थिक और वित्त; कृषि; अवसंरचना कनेक्टिविटी; श्रम रोजगार और कौशल विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; शहरीकरण; तथा कराधान, विनिवेश और एफडीआई के विषयों/क्षेत्रों में अनुभव/सुविज्ञता हो।

1. रिक्त पदों की संख्याः 08 (अनंतिम)
2. शैक्षिक अर्हताएं

अनिवार्य

किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या एमबीबीएस या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) की संस्थागत परीक्षा के खंड ए और बी में उत्तीर्ण या प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (द्विवर्षीय)

<u>वांछनीय</u>

किसी भी विषय में डॉक्टरेट या इंजीनियरी में मास्टर डिग्री

2. <u>पात्रता शर्तें (अंतिम तिथि की स्थिति के अनुसार)</u>

<u>(क) प्रतिनियुक्ति के लिए</u>

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों (जिसके अंतर्गत उनसे संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय भी हैं) या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या अर्धसरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों और अन्य गैर-सरकारी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारियों में से-

वरिष्ठ सलाहकारः स्तर 15

(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 या संशोधन-पूर्व वेतन बैंड 4: 37400-67000 रु. और ग्रेड वेतन, 10,000 रु. या समतुल्य वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और

अनिवार्य अनुभव

नीति, कार्यक्रम या परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन, निष्पादन/कार्यान्वयन, अनुसंधान, अनुवीक्षण और मूल्यांकन में न्यूनतम 18 वर्ष का अनुभव (जिसमें पीएचडी के लिए 3 वर्ष की अवधि शामिल होगी किंतु इन 3 वर्षों को कार्य अनुभव में नहीं गिना जाएगा)।

सलाहकारः स्तर 14

(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 13 ए या संशोधन-पूर्व वेतन बैंड 4: 37400-67000 रु. और ग्रेड वेतन, 8900 रु. या समतुल्य वाले पदों पर दो वर्ष नियमित सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 13 या संशोधन-पूर्व वेतन बैंड 4: 37400-67000 रु. और ग्रेड वेतन, 8700 रु. या समतुल्य वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, और

अनिवार्य अनुभव

नीति, कार्यक्रम या परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन, निष्पादन/कार्यान्वयन, अनुसंधान, अनुवीक्षण और मूल्यांकन में न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव (जिसमें पीएचडी के लिए 3 वर्ष की अवधि शामिल होगी किंतु इन 3 वर्षों को कार्य अनुभव में नहीं गिना जाएगा)।

<u>(ख) वरिष्ठ सलाहकार और सलाहकार के पदों पर प्रोन्नति के लिए</u>

वेतन मैट्रिक्स के स्तर 14/स्तर 13 में कार्यरत ऐसे विभागीय सलाहकारों/संयुक्त सलाहकारों जिन्होंने नियमित आधार पर इस पद पर, नियुक्ति के पश्चात, उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है और जिनके पास पूर्ववर्ती पैरा में यथाविहित शैक्षिक अर्हताएं हैं और जिन्होंने नीति आयोग द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट सुसंगत क्षेत्र में 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ-साथ विचार किया जाएगा। यदि इन पद पर नियुक्ति के लिए किसी विभागीय संयुक्त सलाहकार अथवा सलाहकार का चयन किया जाता है तो इस पद को प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।

नोटः *"फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो सीधी पदोन्नति के क्रम में हों, प्रतिनियुक्ति/(अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, वे पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।"*

3. <u>वेतनमानः</u>

वरिष्ठ सलाहकारः वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 15 (रु. 1,82,200 - रु. 2,24,100)

सलाहकारः वेतन मैट्रिक्स में स्तर-14 (रु. 1,44,200 - रु. 2,18,200)

4. <u>पात्रता अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथिः</u>

पात्रता अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तिथि होगी।

5. <u>आयु सीमा (आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को):</u>

(i) प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए आयु, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तिथि होगी।

6. <u>पदों के बारे में विवरणः</u>

कृपया अनुलग्नक-क देखें।

7. <u>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधिः</u>

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि शामिल है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की शर्तें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के समय-समय पर यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं. 6/8/2009-स्था.(पी.II) में निहित आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएंगी तथा संविदा आधार पर आने वालों के मामलों में शर्तें संबंधित प्राधिकरण के परामर्श से तय की जाएंगी।

8. सामान्य शर्तें:

क. केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के विभागों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा विश्व विद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों अथवा अर्ध सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों और अन्य गैर-सरकारी निकायों में कार्यरत अभ्यर्थियों को उचित माध्यम से उपयुक्त प्रारूप में आवेदन करना चाहिए।

ख. इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 9/23/2014-ईओ (एसएम-II) के साथ पठित दिनांक 16.07.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 27/2/2009-ईओ (एसएम-II) के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए आवेदन करता है और एसीसी द्वारा उसका चयन कर लिया जाता है तो साधारणतया उसे नियुक्ति के लिए मना नहीं करना चाहिए और यदि वह नियुक्ति से इंकार करता है तो वह उक्त कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार कार्रवाई का पात्र होगा/होगी।

ग. अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्रों में दिए गए ब्यौरों के साक्ष्य जब कभी अपेक्षित हों प्रस्तुत करने होंगे।

घ. बाहर के अभ्यर्थी जो सरकारी सेवा में नहीं है, को यदि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें आने-जाने का वास्तविक किराया/द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित रेल किराया, जो भी कम हो, का भुगतान यात्रा के साक्ष्य जैसे रेलवे टिकट संख्या या बस टिकटों के प्रस्तुत करने पर किया जाएगा। जो सरकारी सेवा में है वो नियमानुसार टीए/डीए का आहरण अपने संबंधित कार्यालय से करेंगे।

ङ. केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन के पात्र हैं।

च. किसी भी प्रकार के पक्ष-प्रचार को अयोग्यता माना जाएगा।

छ. पैरा 2 में निर्दिष्ट निर्धारित अनिवार्य अर्हताएं न्यूनतम हैं और केवल उनका होना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए आवश्यक नहीं है।

ज. ऐसे पात्र अभ्यर्थियों, जिन्हें चयन की सूचना के एक माह के भीतर कार्य के लिए मुक्त किया जा सके, के आवेदनों (दो प्रतियों में) के साथ निम्नांकित दस्तावेज निर्धारित प्रपत्र अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित और कार्यालय प्रमुख अथवा किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित परिशिष्ट-I अग्रेषित करें:-

(i) संबंधित अभ्यर्थी की नवीनतम पाँच वर्षों की अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट/एपीएआर डोजियर अथवा वार्षिक गोपनीय/वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की छायाप्रतियां(विधिवत सत्यापित);

(ii) विभाग/संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित विस्तृत प्रपत्र में सतर्कता निकासी;

(iii) उप-सचिव या ऊपर के स्तर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र।

झ. निर्धारित प्रपत्र में,हर तरह से पूर्ण आवेदन अवर सचिव (प्रशा.-I), नीति आयोग, कमरा संख्या 358, नीति भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास इस विज्ञापन के रोज़गार समाचार में प्रकाशन की तारीख़ से 45 दिनों के भीतर पहुंच जाना चाहिए। उचित माध्यम से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख़ को अथवा उससे पहले प्राप्त हुए पूर्ण आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। आवेदन वाले लिफाफे पर "नीति आयोग में वरिष्ठ सलाहकार अथवा सलाहकार के पद हेतु आवेदन" लिखा होना चाहिए।

(दिनेश कोछड़)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष:23096521

परिशिष्ट-I

वरिष्ठ सलाहकार अथवा सलाहकार के पद के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

[प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/प्रोन्नति के लिए]

आवेदित पद: ________________________

(वरिष्ठ सलाहकार/सलाहकार)

अधिमान्य वर्टिकल/क्षेत्रः ________________________

(कृपया अनुलग्नक 'क' का अवलोकन करें)

1. नाम

   पता :

   मोबाइल नं. :

   ई-मेल आईडी :

2. जन्म तिथि

3. अधिकारी पर लागू सेवा नियमों के तहत सेवा निवृत्ति की तिथि

4. (क) यदि वह एक संगठित सेवा से संबंध रखता है तो उसका नाम, आवंटन का वर्ष और संवर्ग।

   (ख) संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी का नाम।

5. शैक्षणिक अर्हताएं:-

   निर्धारित अर्हताएं अधिकारी द्वारा धारित अर्हताएं [केवल वे अर्हताएं ही दर्शायी जाएं जो निर्धारित अर्हताओं के या तो समकक्ष हैं या उनसे उच्चतर हैं]

	निर्धारित अर्हताएं	धारित अर्हताएं
अनिवार्य	(i) (ii) (iii)	
वांछनीय	(i) (ii) (iii)	

टिप्पणीः यदि अधिकारी द्वारा धारित अर्हता निर्धारित अर्हता के समान नहीं है या उससे उच्चतर है और उसे निर्धारित अर्हता के समकक्ष माना गया है तो कृपया प्राधिकारी को इससे अवगत कराएं।

6. अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण, यदि कोई हो तो, जो आवेदित पद से संबद्ध होः

7. (i) वर्तमान धारित पद

(ii) पूर्ण वेतनमान

(iii) वर्तमान वेतन और तिथि जब से यह वेतन आहरित किया जा रहा है।

(iv) विशेष वेतन, यदि कोई हो

नोटः यदि अधिकारी कोई विशेष वेतन प्राप्त कर रहा है तो नीचे दी गई और सूचना भी प्रस्तुत करेः

(क) क्या वह नियुक्ति जिससे विशेष वेतन जुड़ा हुआ है आवधिक नियुक्ति है, और

(ख) पद के लिए वेतन के अलग मान के स्थान पर वेतन मान के अतिरिक्त क्या विशेष वेतन पद के लिए विशेष रूप से स्वीकृत किया गया है।

(v) क्या पद नियमित/तदर्थ आधार पर अथवा प्रतिनियुक्ति आधार पर धारित है?

(vi) जिस तिथि से धारित है

(vii) यदि वर्तमान पद नियमित आधार पर धारित है, पर शुरू में तदर्थ आधार पर धारित था, तो वह तिथि जिससे नियमित आधार पर धारित है।

8. यदि वर्तमान पद नियमित आधार पर धारित नहीं हैः-

(क) तो नियमित आधार पर धारित पद

(ख) इसका वेतनमान

(ग) जिस तिथि से नियमित आधार पर धारित है।

9. यदि कोई पद अधिकारी ने स्थायी क्षमता में धारण किया है।

10. 1. यदि वर्तमान पद एक सदृश पद हैः-

(क) क्या वर्तमान पद डीपीएण्डएआर ओएम सं. 19017/37/75-स्था. (घ) (पार्ट), दिनांक 07.03.1984 के संबंध में सदृश पद है

(ख) पद से जुड़े कर्तव्य

(ग) यदि वर्तमान पद जिसे सदृश माना गया है, गैर केन्द्रीय सरकारी कार्यालय में है, तो निम्नलिखित सूचना भी दी जाएः-

(i) वेतन मान के अंतिम संशोधन की तारीख

(ii) क्या केन्द्रीय महंगाई भत्ते/औद्योगिक महंगाई भत्ते से शासित है।

(iii) न्यूनतम/अधिकतम वेतनमान पर अनुमेय महंगाई भत्ते की राशि

1. महंगाई वेतन
2. महंगाई भत्ता
3. अंतरिम राहत

2. यदि वर्तमान पद सदृश पद नहीं हैः-

(क) तारीख जिससे पद नियमित आधार पर धारित है और इससे जुड़े वेतन बैन्ड तथा ग्रेड वेतन

(ख) यदि उम्मीदवार गैर केन्द्रीय सरकार कार्यालय में कार्य कर रहा हैः-

(i) सरकार में समतुल्य वेतन बैंड/ग्रेड वेतन के साथ पूरा वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन/वेतनमान

(ii) वेतनमान के अंतिम संशोधन की तारीख

(iii) क्या केन्द्रीय महंगाई भत्ते /औद्योगिक महंगाई भत्ते से शासित है और न्यूनतम/अधिकतम वेतनमान पर अनुमेय महंगाई भत्ते की राशि।

1. महंगाई वेतन
2. महंगाई भत्ता
3. अंतरिम राहत

11. सेवा का ब्यौरा

पद का नाम	नियोक्ता	अवधि	वेतनमान	ड्यूटी की प्रकृति
		से तक		

12. चयन के अपेक्षित क्षेत्र में अनुभव

नोटः कृपया अनुसंधान/विकास/डिज़ाइन/योजना अथवा योजनाओं/परियोजनाओं के क्रियान्वयन/प्रतिपादन के क्षेत्र में उपलब्धियों को दर्शाने वाले प्रकाशित कार्य की प्रतियाँ प्रस्तुत करें।

13. क्या अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. से संबंधित है।

14. कोई अन्य संबद्ध सूचना

स्थानः (उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

दिनांकः

अग्रेषित करने वाले कार्यालय द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए

सं. दिनांकः

उपर्युक्त प्रविष्टियाँ कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड से प्रमाणित कर ली गई हैं और सही पाई गई है। उम्मीदवार के सलाहकार अथवा वरिष्ठ सलाहकार के पद पर चयन होने पर, उन्हें नीति आयोग से सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नीति आयोग में उनके नए कार्य को सम्भालने के लिए कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षरः

नामः

कार्यालय की सीलः

सतर्कता निकासी प्राप्त करने के लिए प्रोफार्मा

(सीवीओ *द्वारा हस्ताक्षरित*)

अधिकारी का ब्यौरा जिसके लिए सतर्कता निकासी मांगी जा रही है।

1.	अधिकारी का नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	जन्म तिथि	
4.	सेवा निवृत्ति की तारीख	
5.	सेवा में प्रवेश की तारीख	
6.	जिस सेवा के अधिकारी हैं। (बैच/वर्ष/कैडर)	
7.	धारित पद (पिछले 10 वर्षों के दौरान)	

क्रं. सं.	संगठन	पदनाम तथा तैनाती का स्थान	प्रशासन/नोडल मंत्रालय/विभाग	से	तक

8.	क्या अधिकारी को संदेहास्पद सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची या सम्मत सूची में रखा गया है। यदि हाँ, तो पूरा ब्यौरा दें।	
9.	क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी के खिलाफ कदाचार के आरोप की जांच की गई थी। यदि हाँ, तो क्या परिणाम थे।	
10.	क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी को कोई सजा दी गई। यदि हां, तो अधिरोपण की तिथि और दंड के ब्यौरे।	
11.	क्या अधिकारी के खिलाफ अनुशासनिक/आपराधिक कार्रवाई/चार्जशीट लंबित है। [यदि हाँ, ब्यौरा दें - संदर्भ सं. सहित]	
12.	क्या आज की तारीख तक अधिकारी के खिलाफ किसी कार्रवाई के बारे में विचार किया गया है (यदि हां, तो ब्यौरा प्रस्तुत करें)	
13.	सतर्कता निकासी प्राप्त करने का कारण।	
14.	क्या नवीनतम वर्ष के लिए आईपीआर प्रस्तुत किया है। वर्ष और स्थिति (हां/नहीं)	

हस्ताक्षरः

पदनामः मुख्य सतर्कता अधिकारी

अधिकारी की सील

<u>सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र</u>

डॉ./श्री/श्रीमती/कुमारी_________________________, _________________________ की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की जांच करने के बाद, जिन्होंने नीति आयोग में वरिष्ठ सलाहकार/सलाहकार के पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्प-कालिक संविदा सहित)/प्रोन्नति आधार पर आवेदन किया है, यह प्रमाणित किया जाता है कि उनकी निष्ठा संदेह से परे हैं।

[उप सचिव अथवा ऊपर के अधिकारी द्‌वारा हस्ताक्षर किया जाए]

नाम तथा कार्यालय सील:

तारीखः

अनुलग्नक-क

वर्टिकलों को निर्धारित विषय-क्षेत्र

क्र.सं.	वर्टिकल	विषय-क्षेत्र
1	शिक्षा और मानव संसाधन विकास	प्राथमिक-पूर्व, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, उच्च, तकनीकी,शिक्षक शिक्षा और प्रौढ साक्षरता, विशेष ध्यान वाले क्षेत्र, जैसे बालिकाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, युवा कार्य और खेल मंत्रालय से संबंधित सभी मामले।
2	विद्युत और ऊर्जा	विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम और गैस। विद्युत मंत्रालय, आणविक ऊर्जा विभाग, कोयला मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबद्ध सभी मामले।
3	अर्थशास्त्र और वित्त	आर्थिक नीति, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, वृहद अर्थशास्त्र, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक रुझान, संघीय बजट, मौद्रिक और वित्तीय नीति आदि। आर्थिक कार्य विभाग से संबद्ध सभी मामले।
4	कृषि और संबद्ध क्षेत्र	कृषि उत्पादकता, लाभकारी मूल्य- न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि बाज़ार सुधार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी तथा मात्स्यिकी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित सभी मामले।
5	इन्फ्रा-कनेक्टिविटी	कनेक्टिविटी (विमानपत्तन, रेल, सड़क और पत्तन) पत्तनजनित विकास, साझा कनेक्टेड और विद्युत मोबिलिटी संबंधी कार्य और कृत्रिम बुद्धियुक्त परिवहन के सभी पक्षों से संबंधित सभी मामले। रेल, सड़क परिवहन और राजमार्ग, पोत परिवहन और नागर विमानन मंत्रालय संबंधी सभी मामले।
6	श्रम, रोज़गार और कौशल विकास	श्रम, रोज़गार और कौशल विकास। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय संबंधी सभी मामले।
7	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, जनजातीय विकास, स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ। जनजातीय कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, निःशक्तजन कार्य विभाग, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय संबंधी सभी मामले।

8	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	डिजिटल इंडिया, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ई-शासन, जैव-प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष आदि। इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, डाक, जैव-प्रौद्योगिकी विभागों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग से संबद्ध सभी मामले।
9	शहरीकरण	शहरी आयोजना और अवसंरचना, स्मार्ट शहर, अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय और उनके वित्त, एकीकृत परिवहन प्रणाली आदि। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय संबंधी सभी मामले।
10	कराधान, विनिवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	कराधान, विनिवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेश व्यापार और सेवाएं, राजस्व और बैंकिंग संबंधी सभी मामले। राजस्व विभाग, विनिवेश विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग और वाणिज्य विभाग से संबंधित सभी मामले।

नोटःवर्टिकलों के समक्ष दर्शाए गए उक्त विषय-क्षेत्र केवल व्याख्यात्मक हैं,समग्र नहीं।

No. A.12026/2/2018-Adm.II
GOVERNMENT OF INDIA
NITI AAYOG

NITI Aayog requires the services of suitable officer(s) for appointment to the posts of Senior Adviser /Adviser by Deputation (including short-term contract) / Promotion basis who has experience/ expertise in the fields/areas of Education & Human Resources Development; Energy & Power; Economic & Finance; Agriculture; Infra-Connectivity; Labour Employment & Skill Development, Social Justice & Empowerment; Science & Technology; Urbanisation; and Taxation, Disinvestment & FDI.

1. **Number of Vacancies: 08 (Tentative)**
2. **Educational Qualifications**

Essential

Masters' Degree in any discipline or MBBS or Degree in Engineering or Technology from a recognised University or Passed in Sections A and B of the Institution Examinations of the Institute of Engineers (India) or Post Graduate Diploma in Management (Two years)

Desirable

Doctorate in any discipline or Master's Degree in Engineering

2. **ELIGIBILITY CONDITIONS (As On Closing Date)**

(a) **FOR DEPUTATION**

Officers working in the Central Government / State Governments/ Union Territories (including their attached and subordinate offices) / Universities / Recognized Research Institutions / Public Sector Undertakings / Semi-Government, Statutory or Autonomous Organizations and other Non-Government bodies:

Senior Adviser: Level 15

(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) with three years regular service in **Level – 14 in Pay Matrix** or Pre-Revised Pay Band 4 : Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs.10,000 or equivalent in the parent cadre or department; and

Essential experience

Minimum 18 years' experience (which shall include upto 3 years for Ph.D. provided no work experience is counted during those 3 years) in formulation, appraisal, execution/ implementation, research, monitoring and evaluation of policy, programme or projects.

Adviser: Level 14

(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) with two years regular service in posts in Level – 13 A in Pay Matrix or Pre-Revised Pay Band 4 : Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs.8,900 or equivalent in the parent cadre or department; or
(iii) with three years regular service in posts in Level – 13 in Pay Matrix or Pre-Revised Pay Band 4: Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs.8,700 or equivalent in the parent cadre or department;

Essential experience

Minimum 15 years' experience (which shall include upto 3 years for Ph.D. provided no work experience is counted during those 3 years) in formulation, appraisal, execution/ implementation, research, monitoring and evaluation of policy, programme or projects.

(b) **FOR PROMOTION to the posts of Senior Adviser and Adviser**

The departmental Advisers/ Joint Advisers in Level 14/ Level 13 of the Pay Matrix with three years of regular service, respectively, in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and possessing the educational qualification as prescribed in preceding para and successful completion of 2-4 weeks of training in the relevant field as specified by NITI Aayog will also be considered alongwith outsiders. If a Departmental Joint Adviser or Adviser, respectively is selected for appointment to the post, it will be treated as having filled by promotion.

NOTE: *"The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of the promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation(ISTC). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion".*

3. **Scale of Pay :**

SENIOR ADVISER: Level – 15 in the Pay Matrix (Rs. 1,82,200- Rs. 2,24,100)
ADVISER : Level – 14 in Pay Matrix (Rs. 1,44,200- Rs. 2,18,200)

4. **CRUCIAL DATE FOR DETERMINING ELIGIBILITY:**

The crucial date for determining the eligibility will be the last date of receipt of applications.

5. **AGE LIMIT (AS ON CLOSING DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS) :**

(i) For appointment by deputation (including short-term contract) age shall not be exceeding 58 years as on the closing date for receipt of applications.
(ii) The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India.

6. **DESCRIPTION ABOUT THE POSTS :**

Please see Annexure - A

7. **PERIOD OF DEPUTATION (including short term contract):**

Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The terms and conditions of deputation will be regularized according to the orders contained in the Govt. of India, DOPT's OM No.6/8/2009-Estt(Pay II) dated 17.6.2010 as amended from time to time and in case of those coming on contract, the terms will be settled in consultation with the concerned authority.

8. **GENERAL CONDITIONS:**

a. Candidates working in Central Government or State Government Departments or Union Territory Administrations or Universities or Recognized Research Institutions or Public Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations and other Non-Government Bodies should apply in appropriate proforma through proper channel.

b. It may also be taken note of that in terms of DoPT's OM No. 27/2/2009-EO(SM.II) dated 16.7.2009 read with OM No.9/23/2014-EO(SM-II) dated 22.8.2017, a candidate once applied for being considered and he/she is considered and selected by the **Appointments Committee of Cabinet (ACC)**, ordinarily, he/she should not decline the appointment and if he/she declines the appointment and if he/she declines the appointment he/she will be liable for action as per aforesaid OMs.

c. Candidates will need to produce proof of the details furnished in their applications as and when required.

d. The outstation candidates who are not in Govt. service, if called for interview, will be paid to and fro actual fare / II Class AC Rail fare, whichever is lesser, on production of proof of journey such as the railway ticket numbers or the bus tickets. Those who are in Govt. service shall draw TA / DA as per rules from their respective offices.

e. Only Indian Nationals need to apply.

f. Canvassing in any form will be a disqualification.

g. The prescribed essential qualifications as indicated in para 2 are the minimum and the mere possession of the same does not entail candidates to be called for interview.

h. The applications (in duplicate), along with the following documents, in respect of the candidates who fulfill the eligibility conditions and who can be spared for taking up the assignment within one month of the intimation of selection, may be forwarded in the prescribed proforma i.e. Appendix I duly signed by the candidate and countersigned by the Head of Office or any other officer authorized to sign:-

(i) Up-to-date Confidential Report/ APAR Dossier of the candidate concerned or photocopies of the Annual Confidential / Annual Performance Appraisal Reports of the candidate for the latest available five years (duly attested);

(ii) Vigilance clearance in the prescribed detailed format signed by CVO of the department/organization;

(iii) Integrity Certificate signed by an Officer of the rank of Deputy Secretary or above.

i. Applications complete in all respects and in the prescribed proforma, should reach Under Secretary (Adm.-I), NITI Aayog, Room No.358, Yojana Bhavan, Sansad Marg, New Delhi-110 001 **within <u>45 days from the date of publication of this advertisement in Employment News.</u>** Only complete applications received through proper channel on or before the closing date for receipt of applications will be considered. The applications should be sent in an envelope super scribed 'Application for the post of Senior Adviser or Adviser in the NITI Aayog'.

(Dinesh Kochher)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel: 2309 6521

APPENDIX -I

PROFORMA OF APPLICATION FOR THE POST OF SENIOR ADVISER OR ADVISER [FOR DEPUTATION (INCLUDING SHORT-TERM CONTRACT)/PROMOTION]

POST APPLIED FOR : ______________________
(Sr. Adviser/Adviser)

PREFERRED VERTICAL/AREA: ______________________
(please see Annexure 'A')

1 Name
Address :
Mobile No. :
e-mail ID :

2. Date of Birth
3. Date of retirement under the service rules applicable to the Officer
4. (a) If he/ she belongs to an organized service, its name, year of allotment and the cadre.
(b) Name of the Cadre Controlling Authority.
5. Educational Qualifications:-

Qualifications prescribed	Qualifications possessed by the Officer [Only those qualifications which are equivalent to or higher than the prescribed qualifications need to be shown].

	Qualification prescribed	Qualification possessed
Essential	(i) (ii) (iii)	
Desirable	(i) (ii) (iii)	

Note : If any qualification possessed by the officer is not the same or higher than the qualification prescribed and is treated as equivalent to the qualification prescribed, please state the authority for the same.

6. Training, if any, received by the Officer, which is relevant to the post applied for:
7. (i) Present post held
(ii) Full scale of pay

(iii) Present pay and the date from which drawn

(iv) Special pay, if any

Note : If the officer draws any special pay, the following further information may also be furnished:

a. Whether the appointment to which the special pay is attached is a tenure appointment; and

b. Whether the special pay has been specifically sanctioned for the post in addition to the scale of pay in lieu of a separate scale of pay for the post.

(v) Whether the post is held on regular / ad-hoc basis or on deputation basis.

(vi) Date from which held

(vii) If the present post is held on regular basis but was initially held on ad-hoc basis, the date from which it is held on regular basis.

8. If the present post is not held on regular basis:-

(a) The post held on regular basis

(b) Its scale of pay

(c) Date from which held on regular basis.

9. Post, if any, which the officer holds in a substantive capacity.

10. 1. If the present post is an analogous post:-

a. Is the present post an analogous post in terms of DP&AR OM No.19017/37/75-Estt.(D)(Pt.), dated 07-03-1984.

b. Duties attached to the post.

c. In case the present post which is regarded as analogous is in a non-Central Govt. office, the following information may also be given:-

i. Date of last revision of the scale of pay

ii. Whether governed by Central DA/ Industrial DA

iii. Amount of Dearness Pay etc. admissible on the minimum/ maximum of the scale of pay

1. Dearness Pay

2. Dearness Allowance

3. Interim Relief

2. If the present post is not an analogous one:-

a. The date from which the post is held on regular basis and the Pay Band & Grade pay attached thereto;

b. In the case of a candidate working in a non-Central Government office-

i. The full Pay Band & Grade Pay / Pay Scale along with equivalent Pay Band/ Grade Pay in the Government.

ii. Date of last revision of scale of pay

iii. Whether governed by Central DA/ Industrial DA; and the amount of Dearness Pay, etc. admissible on the minimum/ maximum of the scale of pay

1. Dearness Pay

2. Dearness Allowance

3. Interim Relief

11. Details of Service

Name of the post	Employer	Duration		Scale of pay	Nature of Duties
		From	To		

12. Experience in the required field of selection.

Note : Kindly furnish copies of published work highlighting achievements in the field of research/ development/ design/ planning or in the execution/ formulation of plans/ projects.

13. Whether belongs to SC / ST/OBC.

14. Any other relevant information.

Place : (SIGNATURE OF THE CANDIDATE)

Date :

FOR OFFICIAL USE BY THE FOWARDING OFFICE

No. Date:

The above entries have been verified from the records available in this office and found correct. In the event of selection of candidate for the post of Senior Adviser or Adviser, he/ she will be relieved of to join NITI Aayog for his/her new assignment within 30 days on receipt of the communication from the NITI Aayog.

Signature:

Name :

Seal of the office:

PROFORMA FOR SEEKING VIGILANCE CLEARANCE

(to be signed by CVO)

Particulars in respect of the Officer for whom Vigilance Clearance is being obtained.

1.	Name of Officer	
2.	Father's Name	
3.	Date of Birth	
4.	Date of Retirement	
5.	Date of entry into Service	
6.	Service to which the officer belongs (Batch/Year/Cadre)	
7.	Position held (During the preceding ten years)	

Sl. No	Organization	Designation & Place of Posting	Admn./Nodal Ministry /Department	From	To

8.	Whether the officer has been placed on the agreed list or list of officers of doubtful integrity, If yes, full details to be given.	
9.	Whether any allegation of misconduct involving vigilance angle was examined against the officer during the last 10 years and if so what result.	
10.	Whether any punishment was awarded to the officer during the last 10 years. If so, the date of imposition and details of the penalty.	
11.	Is any Disciplinary / Criminal Proceedings / Charge Sheet pending against the officer. [If so, details to be furnished – including reference no., if any, of the commission]	
12.	Is any action contemplated against the officer as on date (if so, the details to be furnished)	
13.	Reason for obtaining vigilance clearance	
14.	Whether IPR for the latest year has been submitted Year and Status (Yes/No).	

Signature
Designation : Chief Vigilance Officer
Seal of the Officer

INTEGRITY CERTIFICATE

After scrutinizing Annual Confidential Reports of Dr./ Shri/ Smt./Ms. ________________________, _____________ who has applied for the post of Senior Adviser / Adviser in the NITI Aayog on Deputation (ISTC)/Promotion basis, it is certified that his/ her integrity is beyond doubt.

[To be signed by an Officer of the rank of Deputy Secretary or above]

Name & Office Seal :

Date :

Annexure 'A'

Subject matter dealt by Verticals

Sr. No.	Vertical	Subject Matters
1	Education & Human Resource Development	Pre-primary, elementary, secondary, senior secondary, higher, technical, teacher education and adult literacy, areas of special focus such as education for girls, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Minorities and also Children with Special Needs. All matters related to Ministry of HRD, Ministry of Culture, M/o Youth Affairs and Sports.
2	Power & Energy	Power, New and Renewable Energy, Coal, Petroleum & Gas. All matters related to Ministry of Power, Department of Atomic Energy, Ministry of Coal, Ministry of NRE, Ministry of Petroleum & Natural Gas.
3	Economics & Finance	Economic policy, microeconomics, macroeconomics, domestic and international economic trends, union budget, monetary and fiscal policy etc. All matters related to Department of Economic Affairs.
4	Agriculture & Allied Sectors	Agriculture Productivity, Remunerative Prices-MSP, Agri Market Reforms, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. All matters related to Ministry of Agriculture and Farmers Welfare; Animal Husbandry & Dairying and Fisheries, Food Processing Industry.
5	Infra–Connectivity	Connectivity (Airports, Rail, Roads and Ports) Port-led Development, Work relating to shared connected & electric Mobility and all aspect of Intelligent transportation. All matters related to Ministry of Railways, Road Transport & Highways, Shipping and Civil Aviation.
6	Labour Employment & Skill Development	Labour, Employment and Skill Development. All matters related to Ministry of Skill Development & Entrepreneurship and Ministry of Labour.
7	Social Justice & Empowerment	Development of SC & BC, Minorities, Tribals, Voluntary Action Cell. All matters related to Ministry of Tribal Affairs, Department of Social Justice & Empowerment, Deptt of Disability Affairs, Minority Affairs.
8	Science & Technology	Digital India, Information Communication Technology, E- governance, Biotechnology, Space etc. All matters related to Department of Electronics, Information Technology, Telecommunications, Department of Posts, Department of Biotechnology. Ministry of Science & Technology, D/o Space.
9.	Urbanization	Urban planning and infrastructure, smart cities, waste management, Urban local bodies and their finances, Integrated transport system etc. All matters related to Ministry of Housing and Urban Affairs
10.	Taxation, Disinvestment and FDI	Taxation, Disinvestment, Foreign Direct Investment, Foreign Trade and services, all revenue and banking issues. All matters related to Department of Revenue, Department of Disinvestment, Department of Financial Services and Department of Commerce.

Note: Subject Matters dealt by Verticals as listed above are only illustrative and not exhaustive.